



# वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना

## VISVAS YOJANA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)



### मुख्य विशेषताएं SALIENT FEATURES

पैरामीटर	एस.एच.जी. के लिए	एकल व्यक्तियों के लिए
ब्याज सहायता	5% प्रतिवर्ष	5% प्रतिवर्ष
अधिकतम ऋण सीमा	रु. 4.00 लाख	रु. 2.00 लाख
जाति पात्रता	सभी सदस्य ओ.बी.सी. होंगे एन.आर.एल.एम./नाबार्ड/एन.यू.एल .एम.द्वारा प्रवर्तित एस.एच.जी.	केंद्र या राज्य की ओ.बी.सी.सूची. में जाति सम्मिलित हो.
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा	प्रत्येक सदस्य के लिए रु. 3.00 लाख से कम हो.	रु. 3.00 लाख से कम हो.
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को मान्यता	1. संबंधित राज्य सरकार /जिला प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन 2. अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) कार्ड धारक। 3. PM KISAN के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति। 4. SECC-2011 के संदर्भ में तीन या अधिक अभाव वाले व्यक्ति	
कौन दावा करेगा	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) और अन्य वित्तीय संस्थान 'विश्वास' के क्रियान्वयन हेतु एन.बी.सी.- एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं	

- सभी दावे विश्वास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाते हैं (लिंक [WWW.NBCFDC.GOV.IN](http://WWW.NBCFDC.GOV.IN) पर उपलब्ध है)
- डी बी टी के माध्यम से एस.एच.जी./लाभार्थी परिचालन खाते में सबवैशन राशि का त्वरित पी.एफ.एम.एस. आधारित हस्तांतरण
- स्वचालित एस.एम.एस. संदेश से लाभार्थी को अंतरण विवरण की सूचना

EMAIL: [visvas@nbcfdc.gov.in](mailto:visvas@nbcfdc.gov.in) & [info@nbcfdc.gov.in](mailto:info@nbcfdc.gov.in)

DIAL 1800102399

VISIT US AT [www.nbcfdc.gov.in](http://www.nbcfdc.gov.in)